आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– .... से ....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 56 / सन–2024– 25

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	–:आदेशः –	
16.04.2025	यह विविध वाद अभिलेख सं0– 56 / 2024– 25 आवेदिका सुशीला देवी, पति– स्व0 बालदेव राय, साकिन– सिरसाय, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 08, श्री राहुल कुमार वर्मा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 08, श्री राहुल कुमार वर्मा ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा सिरसाय, थाना नं0– 182 रैयती खाता सं0– 19, प्लॉट नं0– 148 एवं अन्य मोहर राय वो रोसो राय के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदिका द्वारा संलग्न आवेदन में वर्ष 1986 – 87 एवं 1996 – 97 खाता सं0– 19, रकवा– 6.79 एकड़ मोहर राय के नाम से लगान रसीद संलग्न किया गया है कि उक्त खाता सं0– 19, प्लॉट नं0– 148 एवं अन्य रकवा– 1.66 एकड़ भूमि ही बचा है। उक्त के संबंध में शपथ पत्र सं0– 23, दिनांक– 12.02. 2025 द्वारा भी शपथ किया गया है एवं यह भी शपथ किय गया है कि उक्त भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी तरह का कोई मामला लंबित नहीं है एवं 1.66 एकड़ भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने पर कोई आपत्ति नहीं है न ही भविष्य में किया गया आपत्ति मान्य होगा। आगे प्रतिवेदित करते है कि आवेदन के साथ संलग्न लगान रसीद के आधार पर हल्का उपलब्ध पंजी– II का भाग सं0– । जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। पुनः प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अमीन से मापी के पश्चात दखल कब्जा स्पष्ट होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 8, श्री राहुल कुमार वर्मा / अंचल अमीन / अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा नक्शा सहित मापी प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन अनुसार खाता सं0– 19, प्लॉट सं0– 207, 261, 273, 131, 348, 500, 590, 579, 580, 673 कुल 10 प्लॉट, रकवा कमशः 16 डी0, 09 डी0, 39 डी0, 05 डी0, 07 डी0, 18 डी0, 21 डी0, 29 डी0 02 डी0, 20 डी0 कुल रकवा– 1.66 एकड़ भूमि पर खतियानी / जमाबंदी रैयत मोहर राय के जीवित वारिशान शांतिपूर्ण दखलकार है। उपरोक्त भूमि का धनवार अंचल अन्तर्गत मौजा– सिरसाय / 182 के ऑनलाईन पंजी– II में जमाबंदी कायम करने के निमित आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 8, श्री राहुल कुमार वर्मा/ अंचल अमीन / अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मापी– सह– दखल– कब्जा संबंधित प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए शपथ	

पत्र सं0– 23 / 13.02.2025, उपलब्ध राजस्व अभिलेख, लगान रसीद सं0– (1) 925296 वर्ष 1996 – 97 एवं (2) 183604 वर्ष 1986– 87 तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा– सिरसाय / 182 के ऑनलाईन पंजी– II में खाता सं0– 19, प्लॉट सं0– 207, 261, 273, 131, 348, 500, 590, 579, 580, 673 कुल 10 प्लॉट, रकवा कमशः 16 डी0, 09 डी0, 39 डी0, 05 डी0, 07 डी0, 18 डी0, 21 डी0, 29 डी0 02 डी0, 20 डी0 कुल रकवा– 1.66 एकड़ का जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

16.04.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

16.04.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.04.16 13:50:01 +05:30
Location: 192.168.45.65